न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 374/2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. थानसिंह पुत्र मादुसिंह 2. कालूसिंह पुत्र मादुसिंह 3. राणुसिंह उर्फ भीखसिंह पुत्र मगसिंह (सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम चान्दरख, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर)		1. राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम चान्दरख तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी ओसियां केम्प चान्दरख राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 173/2014 दिनांक 19.06.2018

उपस्थित–
1. श्री चन्दनसिंह भाटी वकील अपीलांट
2. श्री चेतनराम जाखड़ वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर, एक्ट के तहत प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 173/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील ओसियां के ग्राम चान्दरख के खसरा नं0 253, 670 व 670/1 की भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राणुसिंह पुत्र मगसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह है, जिसे दुरूस्त किया जावे। इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी–तहसीलदार ओसियां को आदेशित किया गया कि उक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम राणुसिंह पुत्र मगसिंह के स्थान पर राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज किया जावे। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील ओसियां के ग्राम चान्दरख के खसरा नं0 253, 670 व 670/1 की भूमि वर्तमान में अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसके बावजूद भी रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नही किया, जिससे उन्हें नोटिस एवं सुनवाई तथा साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। रेस्पो0संव0 1–प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि स्वयं की सह–खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया गया, जबकि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का खातेदान नही है। इस तथ्य पर गौर किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में अपीलार्थी सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद विचाराधीन हैं। जिसमें रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी भी पक्षकार है, जिसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी को उक्त वाद की जानकारी होते हुए भी वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना व मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए, न्यायालय को गुमराह करते हुए आलौच्य आदेश पारित करवा लिया गया, जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 68 दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

25.08.1963 द्वारा अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, जो सही है। रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी इसमें रद्दोबदल करवाना चाहता है। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेट खातेदार है तथा उक्त भूमि प्रारंभ से ही मादुसिंह व राणुसिंह पि0 मगसिंह के नाम दर्ज हुई थी। जो राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में कही पर भी कभी दर्ज नही हुई तथा न ही उक्त नाम किसी भूलवशः हटाया गया है। आलौच्य आदेश राजस्व केम्प के दौरान बाले–बाले गलत तरीके से रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित गलत तथ्यों के आधार पर पारित कर दिया गया है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उसे कोई अधिकार ही नही था। आलौच्य आदेश धारा 136 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलांट्स–खातेदार की सुनवाई व साक्ष्य लिए बिना ही पारित कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील ओसियां के ग्राम चान्दरख के खसरा नं0 253, 670 व 670/1 की भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय राणुसिंह पुत्र मगसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम से बने हुए है। अन्य खसरा नं0 672 की भूमि में राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज है। रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ ख0नं0 672 की जमाबंदी की प्रति व नाम संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गये। प्रकरण में अप्रार्थी– तहसीलदार बावडी के जवाब के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट्स का कथन है कि तहसील ओसियां के ग्राम चान्दरख के खसरा नं0 253, 670 व 670/1 की भूमि वर्तमान में अपीलांट्स–थानसिंह, कालुसिंह पि0 मादुसिंह व राणुसिंह पि0 मगसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो जमाबंदी संवत् 2061–64 खाता सं0 140 से साबित है। वही दूसरी ओर खाता सं0 198 की जमाबंदी संवत् 2061–64 में अंकित नोट के अनुसार फतेहसिंह के नाम दर्ज खसरा नं0 667, 668 व 672 की भूमि विरासत के ना0क0सं0 893 दिनांक 8.12.04 द्वारा रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी की सह–खातेदारी में राणुसिंह, गुमानसिंह पि0 फतेहसिंह के नाम दर्ज हुई। इन दोनों जमाबंदियों की प्रतियों के अनुसार इनमें उल्लेखित खसरा नम्बर भी अलग–अलग है तथा उल्लेखित खसरान की भूमि भी दो अलग–अलग व्यक्तियों यथा राणुसिंह पुत्र मगसिंह तथा राणुसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम से दर्ज है। अतः किसी एक व्यक्ति द्वारा मात्र अपने पिता का नाम रेकर्ड में गलत अंकित होना बताते हुए किसी अन्य की भूमि को अपनी बताकर, उसे बिना पक्षकार बनाये/सुनवाई के बिना, उसकी दुरूस्ती हेतु धारा 136 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों का उपयोग करना, समीचीन नही है।

आलोच्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं अप्रार्थी–तहसीलदार बावडी की रिपोर्ट दिनांक 30.5.17 में यह उल्लेखित है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि जरिये विरासत ना0क0सं0 68 मादुसिंह व राणुसिंह पि0 मगसिंह के नाम दिनांक 25.08.1963 को ग्रा0पं0 निर्णित हुई, जो वर्तमान में अपीलांट्स–थानसिंह, कालुसिंह पि0 मादुसिंह व राणुसिंह पि0 मगसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ना0क0सं0 68 में दर्ज नाम राणुसिंह पि0 मगसिंह की जांच करना अपेक्षित है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–राणुसिंह पि0 फतेहसिंह का प्रार्थना पत्र बिना जांच स्वीकार कर लेना न्याय हित में उचित प्रतीत नही है। वह भी इस स्थिति में जब वादग्रस्त भूमि राणुसिंह नाम के दो व्यक्ति अपीलांट सं0 3 तथा रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी, पूर्व से ही रेकर्ड पर मौजूद है तथा उक्त वाद वर्ष 1963 में स्वीकृत ना0क0सं0 68 में दर्ज नाम को लेकर करीब 61 वर्षो के बाद विवाद में

आया, जिसे बिना खातेदारान की सुनवाई के अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत बाले–बाले निर्णित कर दिया जाना किसी भी सूरत में न्यायोचित नही कहा जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 173/2014 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 **अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर